न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/176/2015

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र मोहन लाल खटीक, निवासी खारी का लाम्बा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. रामपाल पुत्र मोहन लाल खटीक, निवासी खारी का लाम्बा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र गुन्जाराम बलाई निवासी गणेश कोलोनी, गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 279/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.6.2015

अधिवक्तागण :-

1. श्री रामनिवास गुप्ता, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री दिनेश तिवाडी,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 2.1.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लाम्बा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 1071 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तभी से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वह उक्त भूमि पर काबिजकाश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा उक्त आराजी विक्रय पत्र दिनांक 2.5.90 से खरीदने के पश्चात मोहन लाल पिता मांगू खटीक का स्वर्गवास दिनांक 12.11.1994 को हो जाने पर दिनांक 31.10.1995 को कोरम में पेश हुआ, जिस पर विचार किया गया एवं उक्त आराजी का नामान्तरकरण विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 के नाम अमल दरामद हो चुका है। उपरोक्त आराजियात को वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कराने बाबत कई बार कहा । जिस पर वे बराबर इसके लिए आश्वासन देते रहे मगर दिनांक 8.10.2014 को इंकार कर दिया । इसलिए वाद प्रस्तुत करने की नौबत आई। अतः वादग्रस्त आराजी वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने की डिक्री वादी के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध फरमाई जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री कैम्प खारी का लाम्बा में पारित की गई है। उक्त केम्प में अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर खाली फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये थे एवं आगामी तारीख पेशी की सूचना बाद में देने के लिए कहा गया था। उस समय अपीलार्थीगण के अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पोशीदा तौर पर कथित लोक अदालत की ओट में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की अपीलार्थीगण को जानकारी दिनांक 4.9.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर प्रकरण के बारे मे पता करने पर हुई थी कि प्रकरण में दिनांक 17.6.2015 को ही निर्णय पारित कर दिया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है । उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 7.7.2015 को नियत था। प्रकरण की पत्रावली नियत पेशी दिनांक 7.7.2015 से पूर्व ही दिनांक 17.6.2016 को पत्रावली में कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी/प्रतिवादी को बुलाया तथा अपीलार्थी न उपस्थित होकर प्रत्यर्थी/वादी के वाद को अस्वीकार कर असहमति व्यक्त की उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी/वादी के वाद को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलार्थी/प्रतिवादी को जानकारी दिये बिना ही पारित की है। जो खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भलीभॉति प्रकट होता है कि प्रकरण अपीलार्थी/प्रतिवादी के वादोत्तर के लिए दिनांक 9.3.2015 को नियत था और उक्त दिनांक को मु0 ग्यारसी जो प्रतिवादी संख्या 3 है के निधन होने की सूचना अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा न्यायालय को दी गई और इस प्रकार प्रकरण मृतक प्रतिवादी के वारिसान/विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए न्यायालय द्वारा नियत करते हुए आगामी दिनांक 30.3.2015 को नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 6.4.2015 को पेशी नियत की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गई और दिनांक 30.4.2015 को वादी द्वारा प्रतिवादी मु0 ग्यारसी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने का आवेदन पेश किया तदुपरान्त प्रकरण उक्त आवेदन पर बहस हेतु दिनांक 28.4.2015 को नियत किया गया। इसके पश्चात दिनांक 28.4.2015 को पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने से आगामी पेशी दिनांक 7.7.2015 नियत की गई।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल वैष्णव नियुक्त थे । दिनांक 17.6.2015 को अभियान के दौरान कैम्प खारी का लाम्बा में अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के असम्यक प्रभाव में आकर प्रकरण मे मनमाना तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित की है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण मे जवाब दावा आने पर तनकियात कायम कर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी द्वारा अपने वाद को किसी भी गवाह के साक्ष्य से साबित नहीं कराया है। तथाकथित विक्रय पत्र को साबित भी नहीं कराया गया था। वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी/वादी का कब्जाकाश्त भी नहीं था। घोषणा के वाद में वादी को वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा साबित करना होता है। वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी/वादी का कब्जा रहा हो इस बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम लाम्बा के तालाब से पीवल होकर उसमें दोनों फसलें काश्त की जाती है। भूमि की किस्म नहरी है ऐसी स्थिति में कमाण्ड एरिया की भूमि का विक्रय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करने से पूर्व जिला कलक्टर से पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक था। परन्तु अपीलाधीन मामले में जिला कलक्टर से कोई अनुमति नहीं ली गई है। अपीलाधीन प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प खारी का लाम्बा में रखा गया एवं अपीलार्थी के हस्ताक्षर खाली फर्द अहकाम पर करवाये गये और कहा गया कि आगामी तारीख पेशी की सूचना भिजवा दी जायेगी परन्तु कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पोशीदा तौर पर कथित लोक अदालत की ओट में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने न्यायिक उद्धरण आर एल डब्ल्यू (2) 2006 पेज 975 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

10. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं दर्शाया है। अतः अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

11. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत तरीके से पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 22.10.2014 को पंजीबद्ध किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को नोटिस जारी किया गया । आदेशिका दिनांक 9.3.2015 को वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 मु0 ग्यारसी के फौत होने की सूचना दी गई जिस पर विधिक उत्तराधिकारी रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 30.3.2015 की पेशी दी गई। जिसके उपरान्त दिनांक 6.4.2015 एवं 20.4. 2015 की पेशी दी गई। दिनांक 20.4.2015 को वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप किये जाने का पेश किया जो वास्ते जवाब, बहस प्रार्थना पत्र पत्रावली में दिनांक 28.4.2015 की पेशी नियत की गई। आदेशिका दिनांक 28.4.2015 को आगामी पेशी दिनांक 7.7.2015 नियत की गई। लेकिन प्रकरण को दिनांक 17.6.2015 को कैम्प कोर्ट खारी का लाम्बा में लोक अदालत की भावना से रखा गया । जिसमें अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण रामप्रसाद एवं रामपाल उपस्थित हुए जिन्होंनें अपने हस्ताक्षर किये एवं अंकित किया कि हम सहमत नहीं है। उनकी पहचान सरपंच खारी का लाम्बा द्वारा की गई। जब प्रतिवादीगण वाद पत्र के तथ्यों से सहमत नहीं थे तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रतिवादीगण को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज का अवलोकन कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करते साथ ही मृतक प्रतिवादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 3 के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर को निर्णित करते । अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। चूंकि मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों का बाद साक्ष्य अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाना होता है। जबकि अपीलाधीन मामले में प्रतिवादीगण के वाद पत्र के तथ्यों से असहमत होने के अंकन के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । साथ ही मृतक के खिलाफ भी निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण में भी माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि लोक अदालतें विशुद्ध रूप से सुलह से संबंधित है और पक्षकारों के मध्य समझौते या निपटारे पर आधारित होनी चाहिये। –1987 के अधिनियम की धारा 19 से 22 के तहत ''अधिनिर्णय'' और ''अवधारण'' जो समझौते या निपटारे पर आधारित नहीं होता वह शून्य होगा। '' माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में प्रकरण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करना उचित समझते हैं।

14. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दावा एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर, प्रतिवादी संख्या 3 मृतक के संबंध में उचित निर्णय पारित कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16-1-19 को उपस्थित रहें।

15. निर्णय आज दिनांक 2.1.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

2/1/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा